न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 357/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/492)

निर्णय दिनांकः– 22.08.2025

1. भागीरथमल
2. केवलचन्द
3. बाबुलाल

} पिसरान मदनलाल पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन गांव पडिहारा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपास्थितिः–

1. श्री पुरूषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 27–09–2023 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 1–2 एम.डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/50 तादादी 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 203/57 की 25 बीघा कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट के पिता द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि "आवेदन पत्र का आवेदक स्वयं फौत" अतः अदम साक्ष्य–सबूत अदम हाजरी में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर यह कहते हुए पारित किया गया है कि आवेदक स्वय फौत है इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांट को दिनांक 05–08–1992 को रिकॉर्ड सबुत जमा करवाने का नोटिस दिया जिस पर अपीलांट ने साक्ष्य सबुत जमा करवा दिए। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर सीधा 27–09–2023 को पत्रावली पेशी में दिखाकर आवेदन निरस्त कर दिया जबकि वर वक्त आवेदन उक्त रकबा अराजीराज दर्ज था। आवेदक के पिता ने धरोहर राशि जमा करवाकर आवेदन पेश किया था तथा निरस्तर आवंटन हेतु प्रयासरत रहा और पत्रावली सक्षम होकर स्थानान्तरण होकर खाजूवाला आ गई और आवंटन में देरी हुइ जिसके लिए अपीलांट दोषी नही है। पिता का आवेदन होने के कारण अपीलांट ने अन्य आवेदन भी नही किया और आज भी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी के काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना, बिना सुने आवेदन के 30 वर्ष बाद उक्त आदेश पारित किया है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलांट खेतिहर व्यक्ति है। अपीलांट के पिता ने सबुत पेश कर दिये थे तथा उन्हे बताया गया कि आगामी कार्यवाही की सूचना आपको दे दी जाएगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नही दी गई। जब अपीलांट के द्वारा दिनांक 31–07–2024 अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पुनः चाराजोंई की तो बताया गया कि आपकी पत्रावली दिनांक 27–09–2023 को निरस्त कर दी गई है। उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–09–2023 के विरूद्व अपील दिनांक 06–09–24 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को उपस्थित होने का नोटिस भेजे जाने के बाद भी प्रार्थी/अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–09–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06–09–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील मे हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट के पिता ने आवंटन अधिकारी के तहसील खाजूवाला में चक 1–2 एम.डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/50 तादादी 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 203/57 की 25 बीघा कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदनपत्र का आवेदक स्वयं फौत होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता द्वारा विशेष आवंटन के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25–07–1992 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट ने समस्त सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे तथा अपीलांट का आवेदन लंबित था। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण पत्रावली आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला स्थानान्तरित हो गई थी। तथा दिनांक 23–09–2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पत्र क्रमांक एसडीओ/खाजू/आवंटन/23/839 दिनांक 28–07–2023 के द्वारा अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया है मगर नोटिस पर किसी प्रकार की तामील के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर लगे अपीलांट के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट मदनलाल की मृत्यु 25–01–2011 को ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में विधिवत तामील का प्रश्न उत्पन्न नही होता। अपीलांट की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वारिसानो को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के वारिसानो को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता की गई हो तथा ना ही अपीलांट के वारिसानो को किसी अन्य भूमि पाने के लिए सक्षम घोषित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–09–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर